आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

03/01/26

न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की,विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।

एस०ए०आर०वाद सं०-372/2013-14

(1) रूपेश मुण्डा,
(2) शनिचरवा मुण्डा, ... आवेदक।

बनाम्

(1) गीता देवी,
(2) मायावती ठाकुर, ... विपक्षीगण।

आदेश

आवेदकगण (1) रूपेश मुण्डा, पिता–स्व० बंधन मुण्डा, (2) शनिचरवा मुण्डा, पिता–स्व० डोमन मुण्डा निवासी ग्राम–करमटोली, थाना–लालपुर, जिला–राँची के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–71"A" के अंतर्गत जमीन वापसी हेतु वाद दायर किया गया है। आवेदकगण ने आरोप लगाया है कि विपक्षीगण (1) गीता देवी, पति–श्री ललन कुमार व्रतिया (2) मायावती ठाकुर, पति–श्री कृष्ण मोहन ठाकुर सभी निवासी ग्राम–करमटोली, थाना–लालपुर, जिला–राँची ने छल प्रपंच कर उनकी खतियानी जमीन हड़प लिये हैं।

जमीन का विवरण

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
हातमा	200	156	1257	05 कट्ठा

यह आवेदकगण की खतियानी जमीन है। मौजा–हातमा, थाना नं०–200 खाता सं०–156, प्लॉट सं०–1257, कुल रकबा–05 कट्ठा जमीन आवेदकगण की है। आवेदकगण ने तेरिज दाखिल किया है, तेरिज में सुन्दरा मुण्डा नाम दर्ज है। आवेदकगण ने अपने शपथ–पत्र में वंशावली इस प्रकार दर्शाये हैं कि नथुवा मुण्डा अपने पीछे सुन्दरा मुण्डा को छोड़ गये। सुन्दरा मुण्डा अपने पीछे डोमन मुण्डा को छोड़ गये। डोमन मुण्डा अपने पीछे बंधन मुण्डा एवं शनिचरवा मुण्डा को छोड़ गये। बंधन मुण्डा अपने पीछे रूपेश मुण्डा (आवेदक–1) शनिचरवा मुण्डा (आवेदक–2) को छोड़ गये। आवेदकगण कहते हैं कि गीता देवी, पति–श्री ललन कुमार व्रतिया ने $1\frac{3}{4}$ कट्ठा एवं मायावती ठाकुर, पति–श्री कृष्णा मोहन ठाकुर ने $03\frac{1}{4}$ कट्ठा कुल रकबा–05 कट्ठा भूमि पर नाजायज रूप से

03/01/26

कृ०पृ०उल्टे

03/01/26

कब्जा कर लिए हैं। आवेदकगण का कहना है कि मेरे पिता एवं मेरे दादा सुन्दरा मुण्डा ने कभी भी जमीन को नहीं बेचा है। विपक्षी ने जो दस्तावेज हुकूमनामा 1940 ई० का दाखिल किये हैं वह फ़र्जी है। अनुसूचित जनजाति के जमीन को उपायुक्त के अनुमति के बिना खरीद बिक्री नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैंने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–71"A" के अंतर्गत भू–वापसी के लिए यह वाद लाया हूँ। मुझे यह जमीन वापस होना चाहिए एवं यह वाद पोषणीय है।

आवेदकगण की ओर दो गवाह प्रस्तुत किये गये। गवाह सं०–01 रूपेश मुण्डा, पिता–स्व० बंधन मुण्डा अपने शपथ–पत्र में कहते हैं कि खतियान में सुन्दरा मुण्डा नाम दर्ज है। खतियानी रैयत का मैं वंशज हूँ, जिसपर विपक्षी ने नाजायज ढंग से कब्जा कर लिये हैं। जिस पर विपक्षीगण पहले से ही घर–मकान बनाकर रह रहे हैं। वे अपने प्रतिपरीक्षण में कहते हैं कि यह केस मैंने और बड़े पिताजी ने मिलकर किया हैं, जिसपर विपक्षीगण ने घर–मकान बना लिया तथा बिजली पानी की भी व्यवस्था है।

आवेदकगण की ओर से गवाह सं०–02, शनिचरवा मुण्डा, पिता–स्व० डोमन मुण्डा अपने शपथ–पत्र में कहते हैं कि मैं खतियानी रैयत का उत्तराधिकारी हूँ। वर्णित भूमि पर विपक्षीगण नाजायज ढंग से कब्जा कर घर–मकान बनाकर रह रहे हैं। वे अपने प्रतिपरीक्षण में कहते हैं कि यह केस मैंनें विपक्षीगण पर किया है। जिसपर विपक्षीगण नाजायज ढंग से 40–50 वर्ष से घर–मकान बनाकर रह रहे हैं।

विपक्षीगण अपने कारणपृच्छा में कहते हैं कि आवेदकगण द्वारा दायर किया गया यह वाद छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–71"A" के अंतर्गत चलने योग्य नहीं है तथा इसे खारिज किया जाए। यह वाद कालबाधित है। विपक्षीगण का वर्णित भूमि पर दखल–कब्जा है तथा घर–मकान बना हुआ है। यह जमीन कृषि योग्य नहीं है। आवेदकगण ने अपने मूल आवेदन में यह दर्शाये हैं कि 50 से 60 वर्ष पूर्व से ही मकान बना हुआ है। जिस पर लगभग 03 लाख रूपया खर्च आया है। आवेदकगण अपने आवेदन पत्र के कण्डिका–06 में दर्शाये हैं कि प्रश्नगत् जमीन पर 50–60 वर्ष पूर्व से घर–मकान बना हुआ है। विपक्षीगण सं०–01, गीता देवी के ससूर रामदेव व्रतिया नें खतियानी रैयत सुन्दरा मुण्डा से 1944 ई० में 30 रूपया देकर जमीन खरीदा तथा जमीन

03/01/26

कृ०पृ०उल्टे

03/01/26

चाहरदिवारी देकर घर–मकान बनाकर रह रहें हैं। विपक्षीगण सं०–02 माया देवी के ससूर देवशरण ठाकुर के पिता–स्व० गोकुल ठाकुर ने उपरोक्त खतियानी रैयत सुन्दरा मुण्डा से वर्ष–1944 ई० 90 रूपया देकर बिक्री पट्टा से जमीन खरीदा है। तत्पश्चात् जमीन चाहरदिवारी देकर घर–मकान बनाकर रह रहें हैं। खतियानी रैयत के द्वारा उपरोक्त भूमि को विपक्षीगण के ससूर को बिक्री कर देने के पश्चात् विपक्षीगण घर–मकान बनाकर निवास कर रहे हैं। 1946 ई० से पहले उपायुक्त से परमिशन लेना आवश्यक नहीं था। वर्ष–1941 ई० तक भूमि को बन्दोबस्ती या सादा बिक्री खतियानी रैयत के द्वारा दी जाती थी। इसलिए विपक्षीगण ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46 का कोई उल्लघंन नहीं किया है। यह भूमि छप्परबंदी है, जिसपर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–71"A" लागु नहीं होता है। आवेदक खतियानी रैयत के पोता है तथा यह वाद 65 वर्ष बाद लाया गया है। शहर अंचल, राँची से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, तत्पश्चात् अंचलाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसका पत्रांक सं०–1242(ii), दिनांक–22.11.2025 है। इसमें सर्वे खतियान मौजा–हातमा, थाना नं०–200 खाता सं०–156, प्लॉट सं०–1257, कुल रकबा–35 डी० दर्ज जमीन दोन दो नाम जमीन नगड़ा डीपा खतियानी रैयत सुन्दरा मुण्डा, वल्द नथुवा मुण्डा कौम मुण्डा साकिन देह टोला करमटोली दर्ज है। पंजी– ii में किसी के नाम से जमाबंदी संधारित नहीं है, लेकिन ग्रामीणों से पूछताछ करने पर पता चला कि विपक्षीगण वर्ष 1960–65 से मकान बनाकर रहते चले आ रहे हैं। वर्तमान में विपक्षी का दखल–कब्जा है। इसलिए यह वाद कालबाधित है तथा इसे खारिज किया जाए।

विपक्षीगण की ओर दो गवाह प्रस्तुत किये गये। गवाह सं०–01 माया देवी, पति–श्री कृष्ण मोहन ठाकुर अपने शपथ–पत्र में कहते हैं कि आवेदकगण को मैं जानती हूँ, तकरारी जमीन के खतियान को भी मैंनें देखा है। आवेदकगण खतियानी रैयत के पोता–परपोता हैं। भूमि कृषि योग्य नहीं है। जमीन पर घर बनाने में 03 लाख रूपया खर्च हुआ है।

विपक्षीगण की गवाह सं०–02 गीता देवी, पति–श्री ललन कुमार व्रतिया अपने शपथ–पत्र में कहते हैं कि तकरारी जमीन का खतियान मैंनें देखा है। खतियानी रैयत सुन्दरा मुण्डा के द्वारा मेरे ससूर को जमीन बेचा गया है। आवेदकगण खतियानी रैयत के

03/1/26

कृ०पृ०उल्टे

03/01/26

पोता–परपोता है। भूमि कृषि योग्य नहीं है। वे अपने प्रतिपरीक्षण में कहते हैं कि इस वाद में मैं विपक्षी सं०–01 हूँ। यह जमीन आदिवासी खाते की है। खतियान सुन्दरा मुण्डा के नाम से दर्ज है। मेरे ससूर ने जमीन को खरीदा है। जिसपर हमलोग 50–60 वर्षो से मकान बनाकर रहते चले आ रहे हैं।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से बहस किया गया, जिसमें कहते हैं कि यह केस मैंनें भू–वापसी के लिए विपक्षीगण पर किये हैं। खतियानी रैयत सुन्दरा मुण्डा है। सुन्दरा मुण्डा अपने पीछे डोमन मुण्डा को छोड़ गये। डोमन मुण्डा अपने पीछे बंधन मुण्डा एवं शनिचरवा मुण्डा को छोड़ गये। बंधन मुण्डा अपने पीछे रूपेश मुण्डा (आवेदक–1) शनिचरवा मुण्डा (आवेदक–2) को छोड़ गये। विपक्षीगण उपायुक्त के अनुमति लिए बिना जमीन पर कब्जा कर लिए हैं। सुन्दरा मुण्डा ने जमीन को बेचा है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। इसलिए मैंने भू–वापसी का यह वाद लाया है, क्योंकि विपक्षीगण ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–71"A" का उल्लघंन किया है।

विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से बहस किया गया, जिसमें कहते हैं कि वर्णित भूमि पर हमलोगों का 40–50 वर्षो से दखल–कब्जा है। इसलिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–71 "A" के अंतर्गत जमीन वापस नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह वाद कालबाधित है। यह भूमि कृषि योग्य नहीं है। इस पर पक्का मकान बना हुआ है। आवेदक ने जमीन की चौहद्दी को कही नहीं दर्शाया है। हमलोगों ने सादा पट्टा के माध्यम से 1944 ई० में जमीन खरीदा है तथा घर–मकान बनाकर होल्डिग टैक्स के साथ बिजली बिल का भी भुगतान कर रहे हैं। आवेदक ने अपने मूल आवेदन के कण्डिका सं०–06 में दर्शाये हैं कि 45–50 वर्ष पूर्व से विपक्षीगण का मकान बना हुआ है। अंचलाधिकारी, शहर द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में कहा गया है कि वर्ष–1960–65 से घर–मकान बनाकर रहते चले आ रहे हैं। वर्तमान में भी विपक्षीगण का दखल–कब्जा है। यह वाद 70 वर्षो बाद लाया गया तथा हमलोगों का Adverse Position है, इसलिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–71 "A" के अंतर्गत जमीन वापस नहीं किया जा सकता है। अतः यह वाद पोषणीय नहीं है।

03/01/26

कृ०पृ०उल्टे

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के बहस सुनने, दाखिल कागजातों के अवलोकन एवं अंचलाधिकारी, शहर के जाँच प्रतिवेदन पत्रांक—1242(ii), दिनांक—22.11.2025 के अनुसार विपक्षीगण का वर्ष 1960—65 से दखल—कब्जा दिखाया गया है। इसलिए यह वाद कालबाधित है। अतः यह वाद Maintainable नहीं है। इस विश्लेषण के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

03/01/26
विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

03/01/26
विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2026.01.05 16:49:11 +05:30
Location: 10.232.253.39